भाग–II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 फरवरी, 2025

संख्या लैज. 3/2025.– दि हरियाणा कॉनट्रैक्टयूअल इम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनन्स, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 7 फरवरी, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:–

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेश

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. यह अध्यादेश हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की धारा 3 के खण्ड (ii) की व्याख्या 2 में, "एक कैलेण्डर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2024 के हरियाणा अधिनियम 17 की धारा 3 का संशोधन।

चण्डीगढ़:
दिनांक 7 फरवरी, 2025

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।